

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

का.आ. 1465(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2670 (अ) तारीख 16 अगस्त, 2017 में और संशोधन करती है, अर्थात्: -

- (i) “1 जनवरी, 2021” अंकों और शब्दों, जहाँ कहीं वो आते हैं, के स्थान पर “1 अप्रैल, 2022” अंक और शब्द रखे जायेंगे;
- (ii) पैरा (1) में शब्दों ‘बीएस-IV’ के स्थान पर ‘बीएस-VI’ शब्दों को रखा जाएगा;
- (iii) पैरा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा अर्थात् :-
“(5क) ये मानक बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले वाहनों के लिए पैरा (2) में दिए गए समीकरणों में “Y” के साथ सुधार कारक ‘1’ (एक) को गुणा करके लागू होंगे।”
- (iv) पैरा (6) के, उपपैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैराको रखा जाएगा अर्थात् :-
“(1क) टिपर को इन मानदंडों के अनुपालन से छूट दी जाएगी।”

[फा. सं. 10/9/2021-ईसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में संख्यांक का. आ. 2670 (अ), तारीख 16 अगस्त 2017 द्वारा प्रकाशित संशोधित की गयी थी और का. आ. 3215 (अ), तारीख 21 सितंबर 2020 द्वारा संशोधित की गयी थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

S.O. 1465(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 14 read with section 18 of the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 2670 (E), dated the 16th August 2017, namely: -

In the said notification, -

- (i) for the figures, letters and words “1st January, 2021” and “1st day of January, 2021”, wherever they occur, the figures, letters and words “1st April, 2022”, shall respectively be substituted;
- (ii) in paragraph (1), for words ‘BS-IV’, the words ‘BS-VI’ shall be substituted;
- (iii) after paragraph (5) the following paragraph shall be substituted namely: -
“(5A) The norms shall apply for vehicles complying with BS-VI emission norms by multiplying correction factor ‘1’ (one) with ‘Y’ in the equations mentioned in table given in paragraph (2) sub paragraph (i).”;

- (iv) in paragraph (6), after sub-paragraph (1) the following sub-paragraph shall be inserted namely:

“(1A) Tippers shall be exempted from the requirement of these norms.”.

[F. No. 10/9/2021-EC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, sub-section (ii), vide number S.O. 2670 (E), dated the 16th August 2017 and amended vide number S.O. 3215(E) dated 21st September 2020.